न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर जिला ग्वालियर म.

प्र.क. /2015–16 निगरानी

गजराज सिंह पुत्र मंगल सिंह आयु 60 साल जाति लोधी धंधा खेती निवासी ग्राम मोहरी तहसील पिपरई जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश ....निगरानी कर्ता

विरूद्ध

1:– फूलबाई पत्नी जसमन आयु 40 साल जाति अहिरवार धंधा खेती

2:– राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 तारई तहसील पिपरई जिला अशोक नगर म.प्र.

3:– मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पटवारी ग्राम मोहरी तहसील पिपरई जिला अशोक नगर म.प्र.........प्रतिनिगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. .... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी याचिका अंर्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक17/5/2016 प्र.क.22/71/15/2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक पिपरई जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश जिसके पालन मे राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 तारई तथा पटवारी मोहरी तहसील पिपरई जिला अशोक नगर ने दिनांक 21/5/16 को ग्राम मोहरी के भूमि सर्वे क. 24/1/1/26 का सीमांकन किया

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानी कर्ता की निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के तथ्य

1:– यहकि निगरानी कर्ता ग्राम मोहरी तहसील पिपरई के भूमि सर्वे क. 24/3 र 1.272है. का स्वत्व स्वामित्व तथा आधिपत्यधारी है तथा मौके पर काबिज है. निगरानी कर्ता क. 1 का ग्राम मोहरी के भूमि सर्वे क. 24/1 मेसे 0.800है. का स्वीकृत हुआ था पटटे के समय कोई सीमांकन नही था निगरानी कर्ता प्रति निग कर्ता क. 1 को पटटा किये जाने के पूर्व से भूमि पर काबिज है प्रति निगरानी कर्ता 1 ने अपनी भूमि सर्वे क. 24/1/1/26 का सीमांकन कराये जाने हेतु अधी न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दिनांक 21/5/16 को रा निरीक्षक तथा पटवारी ने सीमांकन कर जिस स्थान पर निगरानी कर्ता का कब्

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 1889—दो / 2016 निगरानी   जिला— अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
02-05-17	आवेदक के अभिभाषक के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुके है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त तारई तहसील पिपरई द्वारा प्रकरण कमांक 22/71/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-5-16 के विरुद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक फूलवाई की भूमि सर्वे कमांक 24/1 रकबा 0.800 हैक्टर का राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन करना बताया है किन्तु सीमांकन मौके पर नहीं किया गया जब आवेदक ग्राम मोहरी की भूमि सर्वे कमांक 24/3 का भूमिस्वामी है एंव मेढ़िया कास्तकार है , आवेदक को सीमांकन की सूचना देना थी, किन्तु आवेदक को एंव ग्रामवासियों को सूचना दिये बिना गलत आधारों पर सीमांकन किया है इसलिये राजस्व निरीक्षक की सीमांकन कार्यवाही एंव सीमांकन आदेश निरस्त किया जाय। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक के प्रकरण कमांक 22 अ-12/2016का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक कमांक-1 का सीमांकन आवेदन आने पर उसके स्वत्व की भूमि के सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 16-5-16 को मेढ़िया कास्तकारों को सूचना पत्र जारी किया है एंव दिनांक 21-5-16 को स्थल पर जाकर अनावेदक कमांक-1 की भूमि का सीमांकन किया है स्थल पर	

सीमांकन किये जाने का पंचनामा ग्रामवासियों के समक्ष बनाया गया है जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में अंकित किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 की भूमि का सीमांकन होने से निगरानीकर्ता की भूमि संकट में पड़ रही है । यदि निगरानीकर्ता की भूमि अनावेदक क–1 की भूमि के सीमांकन करने से प्रभावित हो रही है तब निगरानीकर्ता स्वयं् की भूमि का अधीक्षक भू अभिलेख से अथवा अन्य राजस्व अधिकारी से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है। विचाराधीन प्रकरण में राजस्व निरीक्षक वृत्त तारई तहसील पिपरई द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार का दोष नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त –1 तारई तहसील पिपरई द्वारा प्रकरण कमांक 22 अ–12/2016 में पारित आदेश दिनांक 21–5–16 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य